प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

07 अगस्त **2018**

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13 - संघ सरकार, रक्षा सेवाएं, थल सेना संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13 – संघ सरकार, रक्षा सेवाएं, थल सेना संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2016-17 में थल सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग की परियोजनाओं/ स्कीमों की वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

साख पत्र के खोलने में विलंब के कारण हानि

रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने नवंबर 2012 में यू एस $ 232,570,000 की लागत पर मिसाइलों की आपूर्ति हेतु एक रूसी फर्म के साथ संविदा की। फर्म को 85 प्रतिशत तक यानी यू एस $ 197,684,500 की अदायगी अप्रतिसंहरणीय परिक्रामी साख पत्र (एल सी) द्वारा की जानी थी जिसे यू एस $ 59,305,350 की प्रारांभिक राशि के लिए खोला जाना था। यदि एल सी खोलने में विलंब होता है तो उस स्थिति में एम ओ डी को प्रतिदिन विंलब के लिए 0.07 प्रतिशत की दर से फर्म को परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की अदायगी करनी थी।

एम ओ डी ने 81 दिनों के विलंब के उपरांत एल सी खोला और उन्होंने एल सी द्वारा की जाने वाली अदायगी की संपूर्ण राशि अर्थात यू एस $ 197,684,500 पर परिकलन को आधारित करके यू एस $ 9,884,225 एल डी का परिकलन किया और न कि एल सी की प्रारंभिक राशि अर्थात यू एस $ 59,305,350 पर, जिससे एम ओ डी द्वारा देय एल डी मात्र यू एस $ 2,956,267.5 होती। एम ओ डी को एल डी के परिकलन हेतु ली जाने वाली राशि के संबंध में कानूनी सलाह लेनी चाहिए तथा यदि आवश्यकता पड़ती है तो आपूर्तिकर्ता पर पूरक दावा भी प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि वर्तमान विनिमय दर (1 यू एस $ = ₹ 66.72) के अनुसार अंतर ₹ 46.16 करोड़ होगा।

(पैराग्राफ 2.1)

23 एम एम कार्ट्रिजों की अधिप्राप्ति में परिनिर्धारित हर्जाने न लगाए जाने से विदेशी फर्म को अनुचित लाभ

23 एम एम कार्ट्रिजों की अधिप्राप्ति हेतु एम ओ डी द्वारा रूसी आपूर्तिकर्ता के साथ की गई संविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता विलंबित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की अदायगी हेतु बाध्य था। चूंकि आपूर्तियां नियत समय तक पूरी नहीं हई थीं, एम ओ डी ने वैधता की अवधि बढ़ाने हेतु एल डी के प्रावधान को शामिल किए बिना एक पूरक संविदा पर हस्ताक्षर किए। जब एम ओ डी ने यू एस $ 1,123,875 (₹4.56 करोड़) की एल डी का दावा प्रस्तुत किया तो फर्म द्वारा उसका यह कहकर खंडन किया गया कि पूरक संविदा में एल डी के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, पूरक संविदा में एल डी की शर्त को स्पष्ट रूप से शामिल करने में एम ओ डी की तरफ से हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹4.56 करोड़ का दावा विवादास्पद रहा।

(पैराग्राफ 2.2)

ओल्ड ग्रांट बंगले को अनधिकृत रूप से होटल के रूप में प्रयोग किए जाने के मामले में ₹7.48 करोड़ की लंबित वसूली

रानीखेत में ओल्ड ग्रांट बंगले (ओ जी बी) का अधिभोगी वर्ष 1995 से बिना कोई उपयुक्त किराया दिए उसके परिसर में होटल चला रहा था। रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) ने सितंबर 1995 से जून 2017 तक देय ₹7.48 करोड़ की राशि का न तो परिकलन किया था और न ही अधिभोगी से उसकी माँग की थी। जुलाई 2017 में डी ई ओ ने सूचित किया कि बंगले को खाली कराने तथा ₹7.48 करोड़ के हर्जाने की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

(पैराग्राफ 2.3)

ऑपरेशन्स- सह- रेत मॉडल कक्ष का अनधिकृत प्रावधान

निर्धारित पैमानों का उल्लंघन करते हुए उत्तरी कमान मुख्यालय (एच क्यू एन सी) ने मार्च 2011 में कोर मुख्यालय के लिए ₹3.01 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सम्मेलन हॉल और पुस्तकालय के साथ एक अतिरिक्त ऑपरेशन्स-सह-रेत मॉडल कक्ष के लिए संस्वीकृति प्रदान की। ₹2.95 करोड़ की लागत पर इस अतिरिक्त ऑपरेशन्स–सह-रेत मॉडल कक्ष का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ₹1.15 करोड़ की लागत पर केंद्रीय वातानुकूलन भी प्रदान किया गया था।

(पैराग्राफ 3.2)

चालक रहित विमानों के विकास में देरी और प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा चालक रहित विमानों (यू ए वी) के स्वदेशी विकास में अत्यधिक विलंब हुआ । सीमित श्रृंखला उत्पादन के द्वारा चार यू ए वी की अधिप्राप्ति में ₹79.75 करोड़ के व्यय के बावजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा विकसित यू ए वी प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, एक अन्य मामले में, मध्यम ऊँचाई दीर्घ क्षमता युक्त यू ए वी प्रणाली के विकास में हुए विलंब के कारण भारतीय सेना की हवाई निगरानी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 3.3)

इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्नत किए हुए 155 एम एम/ 45 कैलिबर गन सिस्टम 'धनुष' के उत्पादन में देरी

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) ने, 1986 में विदेशी फर्म से 155 एम एम/39 कैलिबर गनों की अधिप्राप्ति के दौरान प्राप्त टी ओ टी के आधार पर 2011 में एक यांत्रिक रूप से उन्नत 155 एम एम/45 कैलिबर गन सिस्टम "धनुष" का विकास कार्य शुरू किया। ओ एफ बी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य को अभी भी प्रयोक्ता परीक्षणों में पूर्णतः सफल होना शेष था जिसके परिणामस्वरूप थल सेना में आधुनिक आर्टिलेरी गन की कमी निरंतर बनी रही ।

(पैराग्राफ 3.4)

बैफल रेंज पर निष्फल व्यय

रक्षा मंत्रालय ने फायरिंग प्रशिक्षण हेतु भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में मार्च 2011 में एक बैफल रेंज के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की। दिसंबर 2012 में ₹8.66 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य प्रदान किया गया जिसे फरवरी 2015 तक पूरा किया जाना था। टेढ़े-मेढ़े तरीके की बांउडरी वॉल हेतु आरेख को निविदा में सम्मिलित किया गया था किंतु दीवार के लिए आवश्यक सामग्रियों की मात्रा, जो मूलतः सीधी बाउंडरी वॉल के लिए निश्चित थी, का संशोधन नहीं हुआ। संविदा होने के एक दिन के अंदर ही विचलनों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन (आर ए ए) के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई। संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ था और ₹7.60 करोड़ के व्यय से निर्मित परिसंपत्तियां जुलाई 2017 तक अप्रयुक्त पडी रहीं।

(पैराग्राफ 4.1)

₹9.27 करोड़ की परिहार्य देयता के अतिरिक्त ₹56.17 लाख की हानि

सूरतगढ़ में इंफेन्ट्री बटालियनों के लिए आवासों के निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान खराब कारीगरी एवं अपर्याप्त निगरानी के कारण असुरक्षित एवं अवमानक भवनों का निर्माण हुआ जिसके परिणामस्वरूप निर्माण के मात्र सात वर्षों के उपरांत ₹9.83 करोड़ की लागत पर उनको तोड़कर भवनों का पुननिर्माण/ पुनरुद्धार किया गया।

(पैराग्राफ 4.2)

वातानुकूलकों के प्रावधान में देरी के कारण फील्ड फॉर्मेशन को मिसाइलों की तत्काल उपलब्धता से वंचित होना पड़ा

वातानुकूलकों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2008 में ₹2.20 करोड़ की लागत पर निर्मित मिसाइल भंडारण गृह का वांछित उपयोग नहीं किया जा सका । प्रयोक्ता की आवश्यकता के बावजूद वातानुकूलकों का प्रावधान करने में अत्यधिक देरी हुई तथा एक वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक मुख्य भूमि से कटकर रहने वालें दूरस्थ फील्ड फार्मशन अपने शस्त्रगार में बिना मिसाइलों के कार्य कर रहा था।

(पैराग्राफ 4.3)

इंजीनियर मूल के इजीनियर भंडार – अनुवर्ती लेखापरीक्षा

इंजीनियर रेजिमेंट युद्ध तथा शांति दोनों समय सशस्त्र सेनाओं को संकटकालीन गतिशीलता में बल प्रदान करती हैं। हमारी समीक्षा कुछ चिरकालिक समस्याओं के अस्तित्व की ओर इंगित करती है जिनको यदि संबोधित नहीं किया गया तो वे सशस्त्र सेनाओं की इस निर्णायक समर्थन प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती खडी करेंगी। इनमें से कुछ समस्यायें सभी श्रेणियों में भंडारों एवं पुर्जों की कमी है जो अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब एवं अकार्यक्षमताओं के कारण प्रबल हुई। इसके फलस्वरूप, अधिप्राप्ति प्रक्रिया अत्यंत लंबी हुई और परिणामतः आबंटित निधियों को खर्च करने में असमर्थता उत्पन्न हुई। ऑटोमेटेड प्रणाली के अभाव के कारण संगठन के विभिन्न अंगों में सूचनाओं के परस्पर प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुए और फलस्वरूप अपर्याप्त नियंत्रण और निगरानी हुई। इसके परिणामस्वरूप भंडारों की माँग के पंजीकरण एवं उनके संभावित निर्गम में विलंब, भंडारों का असमान आबंटन तथा अनावश्यक पुर्जों के क्रय में निष्फल व्यय भी हुआ। पी आर सी के प्रवर्तन /अनुमोदन में विलंब और समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में हुई असमर्थता के कारण संयंत्रों और पुर्जों की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

मरम्मत के लिए पंचवर्षीय रोल- ऑन योजनाओं का सूत्रपात न करने और वार्षिक लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में हुए विलंबों के कारण भंडारों एवं पुर्जों के संभरण में विलंब हुआ। ओवरहॉल नीति के अननुपालन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ उपस्करों एवं संयंत्रों को निर्धारित ओवरहॉल के बिना ही सेवा में प्रयुक्त किया गया जिसने संभवतः उनके इष्टतम निष्पादन को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 4.4)

निष्फल व्यय

सड़कों के पुनर्सरेखण/ निर्माण कार्य के लिए महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा निर्धारित तकनीकी निर्देशों का पालन न करने के कारण कार्य को समयपूर्व बंद करना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹15.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

आयातित उपस्करों के बीमा की अपर्याप्त शर्तों के कारण हानि

उपकरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना (आई आर डी ई) ने ₹19.68 करोड़ की लागत पर पॉलिशिंग मशीन का आयात करने हेतु आदेश दिया। बीमा पॉलिसी 30 दिनों तक आस्थगित अनपैकिंग के लिए सुरक्षा कवर देती थी। लगभग तीन महीनों के बाद परेषण को खोला गया और मशीन मितव्ययी मरम्मत से परे पायी गई। बीमा दावे को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि बीमा पॉलिसी में केवल आस्थगित अनपैकिंग के लिए 30 दिनों तक के बीमा कवर का ही प्रावधान था।

(पैराग्राफ 6.1)

भंडारण के लिए ₹6.09 करोड़ मूल्य की सामग्रियों की परिहार्य अधिप्राप्ति

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की खरीद प्रबंधन नियमावली - 2006 में निर्धारित खरीद के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार खरीद पर किए जाने वाले सभी व्यय केवल आवश्यकता पर आधारित होंगे और सामग्रियों की अधिप्राप्ति, भावी माँगों की प्रत्याशा में, भंडारण के लिए नहीं की जानी चाहिए । दो मामलों में, संग्राम वाहन शोध एवं विकास स्थापना ने भावी उपयोग का कारण बताते हुए भंडारण के लिए ₹6.09 करोड़ मूल्य की सामग्रियों को अधिप्राप्त किया। ये सामग्रियां अभी भी स्टॉक में रखी हुई हैं। इन सामग्रियों के भंडारण के कारण न केवल सरकारी धन अवरुद्ध हुआ बल्कि उसका भावी उपयोग भी अनिश्चित है।

(पैराग्राफ 6.2)

संपूर्ण परीक्षण सुविधाओं के बगैर परियोजना को लिए जाने के कारण ₹13.78 करोड़ का निष्फल व्यय

शोध एवं विकास स्थापना (इंजीनियर्स) (आर एण्ड डी ई (ई)) ने 6-40 टन क्षमता वाले लड़ाकू विमानों के अवरोध के लिए आवश्यक एयरक्राफ्ट एरेस्टर गियर (ए ए जी) की परियोजना को लिया। इस परियोजना को ₹11.88 करोड़ की लागत के पश्चात् ए ए जी की क्षमता का परीक्षण किए बिना बंद कर दिया गया क्योंकि देश के भीतर पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं जिसकी जानकारी आर एण्ड डी ई (ई) को परियोजना प्रारंभ करने से पहले ही थी। तत्पश्चात् उन्होंने ₹1.90 करोड़ की लागत पर आंशिक परीक्षण सुविधा का निर्माण भी किया। चूंकि 40 टन भार क्षमता के लिए ए ए जी का परीक्षण नहीं किया जा सका, सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सी ई एम आई एल ए सी) ने ए ए जी प्रणाली को भारतीय वायु सेना द्वारा प्रयोग के लिए प्रमाणित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹13.78 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

सामग्रियों की अधिप्राप्ति में ₹14.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय

फरवरी 2014 में, महानिदेशक (आर्टिलेरी) ने अनुसंधान केंद्र इमारत (आर सी आई) को सूचित किया कि 'एन' मिसाइल जोकि आर सी आई द्वारा विकासाधीन थी, को सेवा में शामिल करने की सिफारिश नहीं दी गई थी। इसके बावजूद, आर सी आई ने ₹14.43 करोड़ मूल्य की सामग्रियों के लिए मार्च 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच छह आपूर्ति आदेश दिए, जिन्हें जनवरी 2016 में प्राप्त किया गया था। प्रयोक्ताओं द्वारा 'एन' मिसाइल में रुचि न व्यक्त करने के कारण दिसंबर 2015 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। सामग्रियों को आर सी आई इन्वेंट्री / परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया तथा अक्तूबर 2017 तक इनका प्रयोग नहीं किया गया था ।

(पैराग्राफ 6.5)